

Conduct of election Rules.1961
(Statutory Rules and Order)

FORM - 21 C

(See. rule 64)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the
People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan From **199- Khanpur**
Assembly Constituency

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation
of the People act. 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules,1961 , I
declare that :-

Shri **Narendra Nagar** (Name)

Village Kanwalda Tehsil Khanpur Dist. Jhalawar (Rajasthan)

(Address)

Sponsored by **Bhartiya Janata Party**

(Name of recognised/registered political party) has been duly elected to fill
the seat in that house from the above constituency

Place : Jhalawar
Date : 11/12/2018


(**Bhagirath Ram**)

Returning Officer

(Sub Divisional Officer & Sub
Divisional Magistrate, Khanpur)

199- Khanpur Assembly Constituency

RETURNING OFFICER
(Sub Divisional Officer & Sub
Divisional Magistrate, Khanpur)
Assembly Constituency Khanpur (199)

प्रारूप 21-ग

(नियम 64 देखिये)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

199-खानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये सदस्य का निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नरेन्द्र नागर (नाम)

ग्राम कंवल्दा तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान) (पता)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये है।

स्थान : झालावाड़
दिनांक : 11/12/2018

(भागीरथ राम)

रिटर्निंग अधिकारी

(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खानपुर)

199-खानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

रिटर्निंग ऑफिसर

(उपखण्ड अधिकारी एवं

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खानपुर)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-खानपुर (199)